18.07.2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने निवदेन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है। वकील प्रतिवादी बहस के लिए तैयार नही।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. प्रतिवादी कल्पना सोमानी पत्नि अनिल सोमानी जाति सोमानी सा0 आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2834/2	0.1030	–
किता–01	**0.1030 है.**	–

2. वादी नारायणलाल पिता केदारलाल जाति लढा सा0 आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2831/1	0.0759	–
2834/1	0.5419	–
किता–02	**0.6178 है.**	–

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(नियम – 27)
मुख्य प...

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1–श्री नारायण लाल पिता केदारलाल लढा निवासी 02 एफ–11 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

-- वादी

बनाम

1–श्रीमति कल्पना सोमानी पत्नि अनिल सोमानी निवासी 10–एच–18 आर0सी0 वय कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
3–उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाडा प्रथम व द्वितीय

-- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट

प्रकरण संख्या–166 / 2023 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादी की और से अधिवक्ता रमेशचन्द्र शर्मा उपस्थित। – इस वाद में आज तारीख 18.07.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है –

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. प्रतिवादी कल्पना सोमानी पत्नि अनिल सोमानी जाति सोमानी सा0 आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2834/2	0.1030	–
किता–01	**0.1030 है.**	–

1. वादी नारायणलाल पिता केदारलाल जाति लढा सा0 आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2831/1	0.0759	–
2834/1	0.5419	–
किता–02	**0.6178 है.**	–

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा